तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

16.05.2025

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अपीलांट वकील उपस्थित।

ग्राम सारसोप तह० चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में स्थित कृषि भूमि जिसके आराजी खसरा न0 2436 रकबा 0.08 है० बा० 1 खसरा न0 2463 रकबा 0.30 है० चाही 1 खसरा न0 2468 रकबा 0.36 है० चाही 3 खसरा न0 2608 रकबा 1.49 है० बा० कुल किता 4 कुल रकबा 2.22 है० सम्पूर्ण तथा आराजी खसरा न0 2440 रकबा 0.02 है० गै. मु चाह कुल किता 1 कुल रकबा 0.02 है० मे हिस्सा 1/4 नाम खातेदार काना पुत्र रघुनाथ माली निवासी सारसोप कि खातेदारी भूमि थी एंव खातेदार काना पुत्र रघुनाथ माली कि मृत्यु दिनांक 17.07.2018 को ग्राम सारसोप में हो चुकी है एवं मृतक काना पुत्र रघुनाथ माली निवासी सारसोप का सजरा खानदान निम्न प्रकार है–

रघुनाथ(फोत)

↓

काना (फोत)

↓

रमेशचन्द (पुत्र)	देवनारायण (पुत्र)	रामदयाल (पुत्र)	मोरसरी (पुत्री)	सन्तरा (पुत्री)	रामकन्या (पुत्री)

उक्त सभी मृतक काना पुत्र रघुनाथ माली के विधिक उत्तराधिकारी है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सारसोप तह० चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 07.08.2018 को जारी किया गया है। मृतक काना पुत्र रघुनाथ माली निवासी सारसोप की मृत्यु के बाद उनकी छोडी हुई कृषि भूमि वाके ग्राम सारसोप तह० चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर का उत्तराधिकार का नामांतरण दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर हल्का पटवारी सारसोप द्वारा दिनांक 21.08.2018 को नामांतरण संख्या 1936 ग्राम सारसोप भरकर भू अभिलेख निरीक्षक सारसोप के यहा जांच हेतु पेश किया एंव दिनांक 08.09.2018 को विपक्षी ने उक्त नामांतरण को स्वीकार किया जिसमे अपीलान्ट का नाम सहवन से रामदयाल की जगह रामजीलाल दर्ज कर नामांतरण तस्दीक कर जबकी अपीलान्ट का नाम रामजीलाल ना होकर रामदयाल है। जिसका उल्लेख अपीलान्ट के स्कुल स्थानांतरण पत्र जनआधार कार्ड परिवार राशन कार्ड आधार कार्ड मे अंकित है उक्त विवादित नामांतरण हल्का पटवारी सारसोप ने मजमें आम मे जांच कर तस्दीक नही किया क्योकि अपीलान्ट का नाम रामदयाल होते हुये भी सही नाम का अंकन ना कर रामजीलाल दर्ज कर दिया, जो गलत है। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी मुझ अपीलार्थी को नही थी। सर्वप्रथम उक्त तथ्यों की जानकारी दिनांक 06.12.2024 को हुई। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि नामान्तरकरण संख्या 1936 दिनांक 08.09.2018 ग्राम पंचायत सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को रद्द फरमाया जावे तथा विस्तृत जांच करके अपीलान्ट का नाम रामजीलाल की जगह रामदयाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

मैने अपीलांट के विद्वान वकील की बह[illegible] जिसमें उसने अपील के कथनों का दोहराव किया।

मैने अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर [illegible] किया तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अ[illegible]न किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो यथा ज्ञान ज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय, सारसोप द्वारा जारी स्थानानान्तरण पत्र जारी दिनांक 15.05.2024, जन–आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट का सही नाम रामदयाल पुत्र कानाराम माली है। विवादित नामान्तरकरण संख्या 1936 फैसल दिनांक 08.09.2018 में पटवारी द्वारा अपीलांट का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.22 15:26:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रामजीलाल पुत्र काना माली अंकित किया गया है, जो कि गलत है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1936 निर्णय दिनांक 08.09.2018 ग्राम पंचायत सारसोप को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के नाम की सही जानकारी कर एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सत्यमेव जयते, चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.22 15:26:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner